

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या –1003 / 2014 / जोधपुर

मैसर्स महेन्द्र एण्ड चन्द्रा मोटर्स

ओ.सी. मोटर्स के सामने अपर चौपासनी रोड़, जोधपुर

.....अपीलार्थी.

बनाम्

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-द्वितीय, वृत्त-डी, जोधपुर

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

राजीव चौधरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री पी.एम. चौपड़ा
अभिभाषक।

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री डी.पी. ओझा
उप-राजकीय अभिभाषक।


.....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 10.01.2017

निर्णय


1. उक्त अपील अपीलार्थी द्वारा अपीलीय प्राधिकारी, जोधपुर-प्रथम, वाणिज्यिक कर, जोधपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा गया है) के अपील सं. 43/ आरवैट/जेयडी/2013-14 में पारित किये गये आदेश दिनांक 19.05.2014 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा गया है) की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गयी है।
2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वर्ष 2009-10 का कर निर्धारण आदेश पारित कर अधिनियम की धारा 58 के तहत 5000/- रुपये की शास्ति आरोपित की। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 58 के तहत आरोपित शास्ति के आदेश दिनांक 19.05.2014 से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।
3. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को धारा 23/24 के तहत आदेश पारित किया गया। जबकि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा विवरण पत्र स्वीकार कर अपीलार्थी को न ही नोटिस तामिल किया गया और न ही सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया। अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक का आगे यह कथन रहा है कि राजस्थान वित्त विधेयक 2011 द्वारा वेट अधिनियम की धारा 58 को 15.04.2011 से विलोपित कर दिया गया है। जबकि आलौच्य अवधि 2009-10 के विवरण प्रपत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 30.09.2011 थी और उससे पूर्व ही दिनांक 15.04.2011 से धारा 58 को विलोपित कर दिया गया था। ऐसी स्थिति में धारा 58 के तहत शास्ति का आरोपित किया जाना विधि विरुद्ध है। अपीलार्थी के विद्वान

लगातार.....2


10/01/17

अभिभाषक द्वारा अपने कथनों तर्क के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर अपील संख्या 2445 एवं 2446/2012/जोधपुर मै. हंगर-उस, रातानाडा, जोधपुर बनाम उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, जोधपुर निर्णय दिनांक 01.04.2016 प्रस्तुत किया।

4. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा आगे कथन किया गया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति धारा 58 के तहत अधिक आगे ले जायी जाने वाली Excess I.T.C. के विरुद्ध समायोजित किये बिना मांग पत्र जारी किये जाने के आदेश पारित किये जो कि विधि विरुद्ध एवं सिद्धान्तों के विरुद्ध होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य होने के कारण अपीलार्थी की अपील को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।
5. राजस्व के विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा कथन किया गया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वर्ष 2009-10 का कर निर्धारण आदेश पारित कर अधिनियम की धारा 58 के तहत 5000/- रुपये की शास्ति आरोपित की। अपीलार्थी फर्म को वार्षिक विवरण पत्र प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में समुचित अवसर प्रदान कर दिनांक 22.12.2011 सम्मन वास्ते पेशी जारी किया। जो पत्रावली पर उपलब्ध है। जिसमें विवरण पत्र प्रस्तुत नहीं करने के लिए शास्ति आरोपण किये जाने के बारे में अवसर प्रदान कर पूछे जाने का उल्लेख अंकित है। सम्मन जारी के पश्चात् अपीलार्थी द्वारा दिनांक 13.01.2012 को वार्षिक विवरण पत्र वेट 10ए कार्यालय में प्रस्तुत किया गया। अपीलार्थी को समुचित अवसर प्रदान किया गया है। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधि के विवरण प्रपत्र विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 58 के तहत शास्ति का आरोपण किया जाना विधि सम्मत है जिसकी अपीलीय अधिकारी द्वारा पुष्टि किये जाने में कोई विधिक त्रुटि कारित नहीं की गयी है। अतः राजस्व के विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा अपीलार्थी की अपील को अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।
6. उभयपक्षों की बहस सुनी गई एवं रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। कर निर्धारण आदेश दिनांक 27.02.2012 में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा वार्षिक विवरण पत्र 10ए को विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के कारण धारा 58 के तहत अपीलार्थी के मासिक करदाता नहीं होने पर रुपये 50/- प्रतिदिन एवं अधिकतम रुपये 5000/- के अनुसरण में रुपये 5000/- शास्ति आरोपित की गई है।
7. आलौच्य अवधि 2009-10 के विवरण प्रपत्र को प्रस्तुत करने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा दिनांक 30.03.2011 को अधिसूचना जारी की गई जो निम्न प्रकार है:-


10/01/17

S.No. 2766[no.F.12(25)FD/Tax/11-169]Dated: 30-03-2011

In exercise of powers conferred by section 51A of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003), the state Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby waives the amount of penalty and interest payable, for the year 2009-10, by the dealers who have filed all returns and have deposited all due tax relating to the year 2009-10 up to 1 [30.09.2011]

1. *Substituted for "31-03-2011" by (S.No. 2773) dated 01-04-2011 and further subs for "13-04-2011" by (S.No. 2781) dated 15-04-2011.*

इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा दिनांक 30.03.2011 को यह अधिसूचना जारी की गई कि वर्ष 2009-10 के विवरण प्रपत्र एवं समस्त बकाया कर दिनांक 30.09.2011 तक जमा कराने पर व्यवहारी द्वारा अदा किये जाने वाली शास्ति एवं ब्याज माफ (waive) किया जाता है।


8. यहां यह उल्लेखनीय है कि ऊपर वर्णित अधिसूचना के अनुसार वित्तीय वर्ष 2009-10 के समस्त विवरण प्रपत्र को जमा कराने की अन्तिम तिथि दिनांक 30.09.2011 थी। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा वित्तीय वर्ष 2009-10 के वार्षिक विवरण प्रपत्र वेट-10ए को दिनांक 13.01.2012 को पेश किया गया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपने कर निर्धारण आदेश दिनांक 27.02.2012 में वार्षिक विवरण प्रपत्र अपीलार्थी व्यवहारी के जाने को विलम्ब से पेश किया जाना मानकर धारा 58 के अन्तर्गत 5000/- रुपये की शास्ति अधिरोपित की गयी है। अपीलार्थी व्यवहारी की यह आपत्ति रही है कि शास्ति आरोपित किये जाने से पूर्व उसे सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया। जबकि पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवाई हेतु दिनांक 22.12.2011 को उपस्थित बावत् दिनांक 30.11.2011 को नोटिस जारी किया गया। किन्तु यहां यह उल्लेख किया जाना आवश्यक एवं सुसंगत है कि राजस्थान वित्त विधेयक 2011 द्वारा वेट अधिनियम की धारा 58 को 15.04.2011 से विलोपित कर दिया गया है। जैसाकि ऊपर विवेचन किया जा चुका है कि आलौच्य अवधि 2009-10 के विवरण प्रपत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 30.09.2011 थी और उससे पूर्व ही दिनांक 15.04.2011 से धारा 58 को विलोपित कर दिया गया था। इस प्रकार धारा 58 के विलोपित किये जाने के पश्चात् आलौच्य अवधि के विवरण प्रपत्र प्रस्तुत करने की अवधि शेष थी या यह कहा जाये कि विवरण प्रपत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 30.09.2011 को धारा 58 प्रवर्तन में नहीं थी। अतः जब आलौच्य अवधि 2009-10 के विवरण प्रपत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि को धारा 58 के प्रावधान अस्तित्व में ही नहीं थे तब धारा 58 के तहत शास्ति आरोपित किया जाना विधिसम्मत नहीं है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वेट अधिनियम की धारा

Amrinder Singh
10/01/17

लगातार.....4

58 के तहत शास्ति का आरोपित किये जाने में तथा अपीलीय अधिकारी द्वारा इसकी पुष्टि किये जाने में विधिक त्रुटि कारित की गई है। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 58 के तहत आरोपित शास्ति एवं इसके परिमाणस्वरूप Excess I.T.C. के विरुद्ध शास्ति की राशि को समायोजित किये जाने का जो आदेश पारित किया गया है वह अपास्त किये जाने योग्य है। राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर अपील संख्या 2445 एवं 2446/2012/जोधपुर मै. हंगर-उस, रातानाडा, जोधपुर बनाम उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, जोधपुर निर्णय दिनांक 01.04.2016 से वर्तमान प्रकरण के तथ्य समानता रखते हैं जिसमें यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि कर निर्धारण आदेश की दिनांक को धारा 58 अस्तित्व में नहीं होने के कारण इसके तहत शास्ति का आरोपण विधि विरुद्ध है। जैसाकि पूर्व में वर्तमान प्रकरण के संबंध में यह स्पष्ट विवेचन किया जा चुका है कि विवरण प्रपत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि को धारा 58 अस्तित्व में नहीं थी। इस लिये धारा 58 के तहत शास्ति का आरोपण विधि सम्मत नहीं है। उक्त न्यायिक दृष्टांत में प्रतिपादित सिद्धान्त वर्तमान प्रकरण में लागू होते हैं।

9. अतः कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 27.02.2012 तथा अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 19.02.2012 को अपास्त किया जाता है। परिणामस्वरूप अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया जाता है।
10. निर्णय सुनाया गया।


 (राजीव चौधरी)
 सदस्य